

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1581 / एफ-1-124 / ३१ / ईस-२ / २०२०.

नवा रायपुर, दिनांक २५/०३/२०२१

प्रति:

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कच्छार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

**विषय:-** राजनांदगांव जिले के विकासखंड-छुरिया की कोलियारी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-३६०/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/२०१९/८७६३.  
दिनांक २९.०९.२०२०.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड-छुरिया की कोलियारी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 288.23 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठासी लाख तेझ्स हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

२. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई (567 हेक्टेयर) में 453.60 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
३. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अधीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
४. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
५. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४५-लघु सिंचाई निर्माण कार्य-४७०२, लघु सिंचाई पर पूजी परिय्य, {१०१}-सतही जल, ०१०१-राज्य आयोजना (सामान्य) (३८०३) लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं #७९-निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
६. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १०.०३.२०२१ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
७. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
८. निर्माण कार्य की लागत में भित्त्यावधि को सुनिश्चित किया जावे।
९. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशान्तरार

*प्रमिल*  
*क्र०४८२।*  
( प्रेमसिंह घरेन्द्र )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

*जल संसाधन विभाग*